



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-20062025-264000
CG-RJ-E-20062025-264000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2668]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19 2025/ज्येष्ठ 29, 1947

No. 2668]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 19 जून, 2025

शुद्धि-पत्र

का.आ. 2733(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार भारत सरकार, रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे, निर्माण विभाग) की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II- खंड 3- उपखंड-II में प्रकाशित 20E की अधिसूचना संख्या एसओ 2652(ई) जयपुर गजट आई डी सी.जी.-आर.जे.-अ.- 17062025-263898 दिनांक 13 जून 2025 में निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वृत्तियाँ							शुद्ध						
क्रम संख्या गजट अनुसार	उपमंडल/तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण/ खसरा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर	क्रम संख्या गजट अनुसार	उपमंडल/तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण/खसरा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर

4	छोटी सादड़ी	बरवाड़ा गुजर	132	निजी भूमि	मा. 2	0.0707	4	छोटी सादड़ी	बरवाड़ा गुजर	137	निजी भूमि	मा. 2	0.0937
---	-------------	-----------------	-----	--------------	-------	--------	---	-------------	-----------------	-----	--------------	-------	--------

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या एसओ 2652(ई) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में 13.06.2025 को प्रकाशित हुई।

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-17]

अंकुर जैन, मुख्य इंजिनियर (निर्माण) –II

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 19th June, 2025

CORRIGENDUM

S.O. 2733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in notifications of The Government of India, Ministry of Railways (North Western Railway, Construction department)

The following details shall be amended and substituted in the Notification No. SO 2652(E) Jaipur Gazette ID CG-RJ-E-17062025-263898 dated 13th June 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II- Section 3- Subsection-II.

Wrong							Correct						
S N	Name of the sub- division /Tehsil	Name of village	Survey/kharsra No.	Type of Land	Nature of land	Land Area	SN	Name of the sub- division /Tehsil	Name of village	Survey /kharsra No.	Type of Land	Nature of land Kanal- Marla	Land Area
						Hectare							Hectare
4	Choti Sadri	Barwara gujar	132	Private Land	Ma 2	0.0707	4	Choti Sadri	Barwara gujar	137	Private Land	Ma 2	0.0937

Note:- Original Notification No. SO 2652(E) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 13.06.2025.

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XVII]

ANKUR JAIN, Chief Engineer (Const.) –II